**Meeting of the Prime Minister to Other Political Leaders with Mr. Khashoggi**

753. SHRI PASUMPON THA KIRUTTINAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Prime Minister of India recently had a meeting and dinner with Mr. Adnan Khashoggi, the international arms dealer;

(b) where and when the meeting was held;

(c) the names of the other political leaders who had discussions with Mr. Adnan Khashoggi; and

(d) the special features of his visit and meeting the Prime Minister and other political leaders of India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) and (b) During the course of his private visit to India in late January, Mr. Adnan Khashoggi called on the Prime Minister at the Bhondasi Centre on 28 January, 1991, and was among the several invitees at a private dinner hosted by Dr. J. K. Jain, M. P. (Rajya Sabha) on 29 January, 1991, which was attended by the Prime Minister.

(c) Apart from Prime Minister Mr. Khashoggi met Deputy Prime Minister and some Union Ministers at a dinner hosted by Dr. J. K. Jain, M. P.

(d) The visit was a private one.

**पूर्वांचल भोजपुरी समाज**

754. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रजिस्ट्रार आफ सोसायटीज आई०एस०बी०टी० दिल्ली ने पुलिस उपायुक्त (अपराध) को लिखित शिकायत की है कि स्वामी चेतनानन्द तथा अन्य 17 व्यक्तियों, जिन्होंने जाली हस्ताक्षर करके पूर्वांचल भोजपुरी समाज का जाली प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्वांचल भोजपुरी समाज के अध्यक्ष द्वारा सभी कागजी साक्ष्य पेश कर देने के बावजूद भी पुलिस उपायुक्त श्री तिवारी अथवा श्री आर०के०भट्ट द्वारा न तो कोई जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला ही दर्ज किया है और न ही कोई अन्य कानूनी कार्यवाही आरम्भ की गई है ; और

(ग) क्या सरकार स्वामी चेतनानन्द तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल ही धोखाधड़ी तथा जालसाजी का मामला दर्ज करेगी ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय):** (क) से (ग) रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटीज, दिल्ली प्रशासन ने बाबा चेतनानन्द और अन्यों के विरुद्ध पुलिस उपायुक्त (अपराध) की शिकायत की कि इन व्यक्तियों ने उनके कार्यालय को सूचित किया कि पूर्वांचल भोजपुरी समाज, एक पंजीकृत समिति ने कार्यकारी परिषद् के लिए चुनाव कराया और उन्होंने समिति के पदाधिकारियों की एक सूची भी दी। बाबा चेतनानन्द के आवेदन पर रजिस्ट्रार ने समिति के पदाधिकारियों की सूची की प्रमाणित प्रति जारी की। बाद में, रजिस्ट्रार को शिकायतें प्राप्त हुई कि पहले उनको दी गई सूची सही नहीं थी और रजिस्ट्रार ने पुलिस को की गई अपनी शिकायत में कहा कि ऐसा लगता है कि तथ्यों के कपट/दुर्व्यपदेशन द्वारा बाबा चेतनानन्द ने कार्यकारी परिषद के सदस्यों की सूची प्राप्त कर ली है।

दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि पुलिस के समक्ष कोई कागजाती साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है और जांच से